UPVR010070982026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-4, वाराणसी

उपस्थितः सर्वजीत कुमार सिंह (उच्च0 न्या0 से0)

जे.ओ. कोड-यू0 पी0-6354

प्रथम जमानत आवेदन पत्र संख्याः 2501 सन 2026 ई.

दीपक पटेल पुत्र शिवनाथ, निवासी- सल्लाहपुर, थाना-पट्टी, जनपद-प्रतापगढ़।

............अभियुक्त।

बनाम

सरकार .....अभियोजन पक्ष।

मु0 अ0 सं0-170/2026
धारा-4,8,13(1),13(2),13(5) यू.पी.
सार्वजनिक परीक्षा निवारण अधिनियम
थाना-कोतवाली, जिला- वाराणसी।

दिनांक 27.07.2026

1- आवेदक/अभियुक्त **दीपक पटेल** की ओर से मु0 अ0 सं0-170/2026 धारा-4, 8, 13(1), 13(2), 13(5) यू.पी. सार्वजनिक परीक्षा निवारण अधिनियम थाना-कोतवाली, जिला वाराणसी के अन्तर्गत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2- अभियुक्त के प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में **सौरभ कुमार** का शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र में कहे गये कथनों को तसदीक किया गया है।

3- संक्षेप में अभियोजन का कथानक इस प्रकार है कि, दिनांक 12.07.2026 को मैं उ0 नि0 आलोक सिंह मय हमराह थाना कोतवाली जनपद वाराणसी क्षेत्र में मौजूद था, कि जरिये दूरभाष निरीक्षक श्री राघवेन्द्र कुमार मिश्र ने बताया कि श्री हरिश्चन्द्र बालिका इन्टर कलेंज मैदागिन वाराणसी में धर्मेन्द्र कुमार पुत्र शम्भूनाथ निवासी रमईपुर नेवादा थाना पट्टी प्रतापगढ़ मो0 नं0 8052708021 इलेक्ट्रानिक डिवाइस का प्रयोग कर परीक्षा दे रहा है, जिसका सहयोग दीपक पटेल पुत्र शिवनाथ निवासी सल्लाहपुर थाना पट्टी प्रतापगढ़ मो0 नं0 8112400820 परीक्षा केन्द्र के बाहर से कर रहा है तथा इस सम्बन्ध में तत्काल विधिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। इस सूचना मैं उ0 नि0 आलोक सिंह मय टीम श्री हरिश्चन्द्र बालिका इन्टर कलेज पहुंचा। उक्त परीक्षा केंद्र श्री हश्चिन्द्र बालिका इन्टर कलेज वाराणसी के केंद्र व्यवस्थापक श्रीमती कंचनबाला व स्टेटिक मजिस्ट्रेट राजेश कुमार को उक्त सूचना से अवगत कराया गया, जिनके द्वारा बताया गया कि उक्त अभ्यर्थी कक्ष संख्या 13 में परीक्षा दे रहा है। केंद्र व्यवस्थापक व स्टेटिक मजिस्ट्रेट को साथ लेकर उक्त कक्षा में पहुंचकर कक्ष निरीक्षक रजनीश चौबे व मनजीत कौर के समक्ष अभ्यर्थी धर्मेन्द्र कुमार पुत्र शम्भूनाथ निवासी रमईपुर नेवादा थाना पट्टी प्रतापगढ़ रोल नंबर 12019880 को पकड़ा गया, जिससे अनुचित साधनों के प्रयोग के संबंध में पूछा गया तो आना-कानी करने लगा। केंद व्यवस्थापक स्टेटिक मजिस्ट्रेट व कक्ष निरीक्षकों के समक्ष उक्त अभ्यर्थी की विधि के अनुसार वीडियोग्राफी कराते हुए जामा

Digitally signed by SARVJEET KUMAR SINGH
Date: 2026.07.27 16:51:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

तलाशी ली गई तो उसके पहने शर्ट के अंदर बनियान में टेप से चिपका हुआ एक इलेक्ट्रनिक कम्युनिकेशन डिवाइस जो काले रंग के रबड से पैक है, जिसके अंदर वोडाफोन सिम नंबर 899110273117180202786GE पाया गया। अभ्यर्थी के दाहिने कान के अंदर एक अदद माइक्रो इयरपीस तथा एक अदद आधार कार्ड धर्मेन्द्र कुमार के नाम का पाया गया। उक्त अभ्यर्थी को परीक्षा कक्षा से केंद्र व्यवस्थापक के कक्ष में लाकर पूछताछ किया गया तो अपना नाम धर्मेन्द्र कुमार पुत्र शम्भूनाथ निवासी रमईपुर नेवादा थाना पट्टी प्रतापगढ उम्र 32 वर्ष बताया। बरामद इलेक्ट्रानिक डिवाइस व माइको इयरपीस के सम्बन्ध में पूछने पर बताया कि उक्त परीक्षा में इलेक्ट्रनिक डिवाइस का प्रयोग कर नकल कराने व परीक्षा पास करने हेतु कप्तान सिंह पटेल से 5,00,000 में बात हुई थी, जिसमें से 3,75,000 रू0 कप्तान सिंह के खाते में व 25,000 कैश दिया था, शेष पैसा काम होने के बाद देना था। कप्तान सिंह पटेल का एक साथी, जिसने मुझे यह इलेक्ट्रानिक डिवाइस ऑन कर मेरे कान में लगाकर दिया। वह मेरे साथ आया है तथा परीक्षा केंद्र के बाहर खड़ा है, जिसका नाम दीपक पटेल पुत्र शिवनाथ निवासी सल्लाहपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ है, जिसे मुआ बलवन्त सिंह यादव व मुआ राजेन्द्र पाण्डेय को भेज कर पकड़ने हेतु निर्देशित किया गया। पुनः पूछताछ करने पर बताया कि उक्त परीक्षा में नकल कराने हेतु कप्तान सिंह पटेल पुत्र बालगोविन्द निवासी रामगढ़ कोठारी थाना बहरिया जनपद प्रयागराज से इस इलेक्ट्रानिक डिवाइस से सम्पर्क होना था, जो अपने घर पर ही सल्वरों को बैठाकर मोबाइल के माध्यम से विभिन्न परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों के पास मौजूद इलेक्ट्रानिक डिवाइस के जरिये परीक्षा में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर बताया जाना था। इसी दौरान मुआ बलवन्त सिंह यादव व मुआं राजेन्द्र पाण्डेय, दीपक पटेल पुत्र शिवनाथ निवासी सल्लाहपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ को अपने साथ ले कर आये तथा बताये कि यह परीक्षा केन्द्र के गेट के पास खड़ा था। दीपक उपरोक्त से जामातलाशी लेते हुए पूछताछ की गई तो उसके कब्जे से दो अदद मोबाइल कमशः वन प्लस व बीवो बरामद हुआ जिसमें से वन प्लस मोबाइल धर्मेन्द्र कुमार जबकि वीवो मोबाइल स्वयं का होना बताया तथा एक अदद इलेक्ट्रानिक सिम डिवाइस व एक अदद माइको इयरपीस बरामद हुआ। पूछताछ पर दीपक ने बताया कि शिवजीत पटेल पुत्र बाल गोविन्द निवासी ग्राम रामगढ कोठारी थाना बहरिया जनपद प्रयागराज इस गिरोह का सरगना है, जो अपने भाई कप्तान सिंह पटेल पुत्र बाल गोविन्द निवासी ग्राम रामगढ कोठारी थाना बहरिया जनपद प्रयागराज मो0 81140353888 के साथ मिलकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों से अवैध धन लेकर प्रश्नपत्र लीक कराकर इलेक्ट्रानिक डिवाइस के माध्यम से परीक्षा में नकल कराते हैं। यह इलेक्ट्रानिक डिवाइस शिवजीत पटेल व कप्तान सिंह पटेल द्वारा ही हम लोगों को दिया गया है। इस समय शिवजीत व कप्तान सिंह उपरोक्त के अर्धनिर्मित दो मंजिला मकान में उसके साथ साल्वर गिरोह के सदस्य कमशः 1. ओम प्रकाश पटेल पुत्र राम गोविन्द पटेल ग्राम रामगढ कोठारी थाना बहरिया जनपद प्रयागराज मो० 9336186710, 2. राकेश कुमार पटेल पुत्र अजीत सिंह पटेल निवासी सोनबरसा मऊआइमा हिन्द वाहिनी थाना सराय ममरेज प्रयागराज मो0 6388848300, 3. अखिलेश चन्द पुत्र राजाराम निवासी कुटहन थाना कुटहन जनपद जौनपुर मो0 9305511901, 4. कप्तान सिंह पटेल पुत्र बालगोविन्द निवासी ग्राम रामगढ कोठारी जनपद प्रयागराज मो0 नं0 81140353888, 5. धर्मेन्द्र कुमार सिंह पुत्र सुखलाल निवासी ग्राम बल्लीपुर यासीनपुर थाना उतरांव जनपद प्रयागराज मो0 9918282170, 6. लालता प्रसाद उर्फ गुड्डू पुत्र राम सिंह निवासी कस्बा फूलपुर थाना फूलपुर जनपद प्रयागराज मो0 8423929904, 7. अनुज कुमार पाल पुत्र सालिक राम पाल निवासी डिहा मौरव थाना

सोरांव जनपद प्रयागराज मो0 8400991547, 8. शिव प्रकाश पटेल पुत्र विजय बहादुर निवासी मैथईपुर थाना उतरांव जनपद प्रयागराज मो0 7068957538, 9. मनोज कुमार पुत्र शेर बहादुर निवासी नन्दा का पुरवा सराव देवराज थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ मो0 8423415752 मौजूद हैं, जो प्रश्न पत्र को हल कर के अभ्यर्थियों को इलेक्ट्रानिक डिवाइस के माध्यम से नकल करा रहे हैं। अभ्यर्थी अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार के कब्जे से बरामद इलेक्ट्रानिक डिवाइस व माइक्रो इयरपीस को एक पारदर्शी डिब्बे में रखकर सर्वसील मुहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया तथा प्रवेश पत्र परीक्षा ओएमआर शीट कमांक नमूना मुहर तैयार किया 4900028384, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 5536028384 व आधार कार्ड को कब्जे में लेकर लिफाफे में रखकर सर्वसील मुहर कर नमूना मुहर तैयार किया गया। अभ्यर्थी अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार के अनुचित साधन के प्रयोग करने के सम्बन्ध मे निर्धारित प्रपत्र च-2 केन्द्र अधीक्षक से प्राप्त किया गया। अभियुक्त दीपक के कब्जे से बरामद दो अदद मोबाइल, इलेक्ट्रानिक डिवाइस व माइको इयरपीस को एक पारदर्शी डिब्बे में रखकर सर्वसील मुहर कर नमूना मुहर तैयार किया गया। इसी दौरान निरीक्षक राघवेन्द्र कुमार मिश्र ने जरिये दूरभाष बताया कि इसी प्रकरण में जनपद प्रयागराज मे सल्वर गिरोह के 9 सदस्य मौके पर पकड़ लिये गये हैं तथा गिरोह का सरगना शिवजीत पटेल पुत्र बाल गोविन्द निवासी ग्राम रामगढ कोठारी थाना बहरिया जनपद प्रयागराज अपना मोबाइल छोड़कर फरार हो गया है। पूछताछ में पकड़े गये अभियुक्तों ने बताया है कि उपरोक्त परीक्षा का प्रश्नपत्र राजेन्द्र यादव उर्फ धीरेन्द्र पुत्र लल्लन यादव निवासी बिहरा पाही जनपद वाराणसी किसी परीक्षा केन्द्र से लीक कराकर इस गिरोह को उपलब्ध कराया है, जिसका मो0 नं0 8736050981 है, जो अभी बन्द है। अभियुक्तगण को कारण गिरफ्तारी बताकर समय 13:40 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान मानवाधिकार आयोग व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों निर्देशों का पालन किया गया। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के परिजनों को उनके निवास के थाने के माध्यम से दिया जायेगा। उक्त घटना के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।

4- आवेदक/अभियुक्त के द्वारा प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र में निम्न आधार लिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत आवेदन है, इसके पूर्व माननीय न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज द्वारा कोई जमानत आवेदन निस्तारित या लंबित नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत आवेदन को माननीय मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा खारिज कर दिया गया है। वास्तविकता यह है कि प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त घटना क्रम में न तो कही से शामिल या संलिप्त है और न कोई जानकारी है। असल वाक्या यह है कि प्रार्थी/अभियुक्त जनपद प्रतापगढ़ का मूल निवासी है तथा पूर्व में मानी गई मनौती पूर्ति के उद्देश्य से काशी स्थित बाबा विश्वनाथ जी व काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन हेतु आया था। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक-11.07.26 को प्रतापगढ़ से वाराणसी आया तथा दिनांक-11.07.26 को गंगा स्नान के बाद वाराणसी स्थित श्री संकट मोचन मंदिर व अन्य प्रसिद्ध मंदिरों में दर्शन पूजन कर, दूसरे दिन थाने 12.07.26 को वाराणसी स्थित प्रसिद्ध श्री काल भैरव की मंदिर में दर्शन पूजन करने गया था, जहां दौरान दर्शन पूजन मंदिर में तैनात कुछ पुलिस वालों से प्रार्थी का वाद-विवाद हो गया, जिस पर पुलिस वाले प्रार्थी को पकड़ कर थाना कोतवाली ले आये। प्रार्थी/अभियुक्त को थाना कोतवाली लाये जाने के बाद प्रार्थी को अकारण बिना कारण बताये थाने के लाकअप में बंद कर दिया गया। दि0 12.07.26 की रात्रि में प्रार्थी/अभियुक्त से थाना कोतवाली में पुलिस वालो ने बल पूर्वक कुछ कागजातों प जबरिया दस्तख्त कर लिया गया तथा दि0 13.07.26 को एक फर्जी व मनगढ़ंत कहानी दिखाते हुए चालान कर जेल भेज दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त न तो किसी धर्मेन्द्र नामक

युवक को जानता-पहचानता है और न उसके साथ वाराणसी आया था और न किसी विद्यालय के गेट के पास मौजूद था और न वहां से पकड़ा गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को बिल्कुल गलत एवं फर्जी तथ्यों व एक सहअभियुक्त के बयान के आधार मात्र पर, जिसका कानून की दृष्टि में कोई महत्व व मूल्य नहीं है, अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त न तो परीक्षा कक्ष में मौजूद था और न परीक्षा कक्ष से पकड़ा गया है। प्रार्थी/अभियुक्त न तो अभियोजन द्वारा कथित दिनांक, समय व स्थान पर न तो पकड़ा गया है और न प्रार्थी के व्यक्तिगत अध्यासन से कोई इलैक्ट्रानिक सिम डिवाइस या कोई माइक्रो इयर पीस कतई बरामद नहीं हुई है, बल्कि पुलिस द्रवा मामले को गंभीर बनाने की गरज से झूठी व फर्जी बरामदगी दिखाकर अभियुक्त बनाया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 13(1) उस व्यक्ति के संबंध में परिभाषित है, जो व्यक्ति परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग करते रंगे हाथों पकड़ गया हो, चूंकि, प्रार्थी न तो अभियोजन कथानक के अनुसार परीक्षा कक्ष में मौजूद था और न अनुचित साधनों के साथ पकड़ा गया है, इसलिए उक्त धारा का कोई अपराध प्रार्थी के विरुद्ध नहीं बनता है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध कतई अधिनियम की अन्य आरोपित धाराओं का कोई अपराध कदाचित नहीं बनता है। यदि थोड़ी देर के लिये अभियोजन कथानक को माना जाये जो प्रार्थी को पूर्ण रूपेण अस्वीकार है, उनमें अधिकतम दो वर्ष से सात वर्ष तक के दण्ड का प्राविधान है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध सहअभियुक्त के बयान व प्रार्थी के झूठे व फर्जी जुर्म स्वीकारोक्ति के बयान के अलावा अन्य कोई साक्ष्य नहीं है तथा पुलिस अभिरक्षा में लिये/दिये गये बयान का कोई विधिक महत्व नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के व्यक्तिगत कब्जे से प्रार्थी के व्यक्तिगत मोबाइल फोन व प्रार्थी के व्यक्तिगत रूपयों के अतिरिक्त कोई वस्तु बरामद नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त की फर्जी व झूठी गिरफ्तारी व फरेबी बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नामित नहीं है। प्रार्थी/ अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष व बेकसूर है तथा प्रार्थी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को उचित जमानत बंधपत्र पर मुक्त करने की कृपा करें।

5- राज्य की ओर से उपस्थित सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी को परीक्षा में डिवाइस के माध्यम से गैर कानूनी तरीके से एक सॉल्वर गिरोह के माध्यम से नकल कराये जाने का गंभीर आरोप है। आवेदक/अभियुक्त के पास से अभ्यर्थी धर्मेंद्र का मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है तथा एक अदद इलेक्ट्रानिक सिम डिवाइस व एक अदद माइक्रों इयरपीस बरामद हुआ है। परीक्षा की विश्वसनीयता व पारदर्शिता के साथ खिलवाड़ किया जाना सामाजिक रूप से गंभीर मामला है। आवेदक/ अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

6- मैंने प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व राज्य की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

7- उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों, जमानत प्रार्थनापत्र में कथित तथ्यों, केस डायरी आदि प्रपत्रों के सम्यक परिशीलन के उपरान्त यह विदित होता है कि, हरिश चंद्र बालिका इंटर कालेज में आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी धर्मेंद्र कुमार द्वारा इलेक्ट्रानिक डिवाइस के माध्यम से सॉल्वर गिरोह के सक्रिय सहयोग से परीक्षा में नकल करते हुये पाये जाने पर उसके पास से शर्ट के अंदर इलैक्ट्रानिक डिवाइस बरामद हुआ तथा अभ्यर्थी से पूछताछ करने पर उसके द्वारा सॉल्वर गिरोह के व्यक्तियों के विषय में दी गई जानकारी पर पुलिस टीम द्वारा आवेदक/अभियुक्त को कालेज के बाहर गेट के पास से

पकड़ा गया है और उसके जामातलाशी से दो अदद मोबाइल, जिसमें से एक अभ्यर्थी धर्मेंद्र का भी मोबाइल होना कहा गया है तथा एक अदद इलेक्ट्रानिक सिम डिवाइस व एक अदद माइक्रो इयरपीस भी बरामद हुआ है। पूछताछ में आवेदक/अभियुक्त द्वारा पैसे के लालच में सॉल्वर गिरोह के माध्यम से परीक्षा में नकल कराये जाने का कथन भी किया गया है। बेरोजगारी के जमाने में किसी भी परीक्षा की शुद्धता/विश्वसनीयता के साथ नकल करने/करवाने के माध्यम से खिलवाड़ किया जाना बेहद गंभीर मामला है। आवेदक/अभियुक्त के पास से एक अदद सिम डिवाइस व एक अदद माइक्रो इयरपीस तथा सहअभियुक्त/अभ्यर्थी धर्मेंद्र का मोबाइल भी बरामद हुआ है। प्रकरण सामाजिक रूप से गंभीर प्रकृति का है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति व गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण दोष पर कोई विचार व्यक्त किये अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **दीपक पटेल** की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है। आदेश की एक प्रति आवेदक/अभियुक्त को अविलम्ब निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनांक- 27.07.2026

(सर्वजीत कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-4, वाराणसी।
जे.ओ.कोड-यू.पी.6354

अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-4, वाराणसी